न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/2)

1. सुमित्रा पुत्री रामकरण पत्नि मदनलाल, जाति कुम्हार, निवासी साली, तहसील दूदू हाल झोडिन्दा भोजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1. रामकरण पुत्र भैरू
2. विश्राम पुत्र भैरू
3. हेमराज पुत्र भैरू
4. रामस्वरूप पुत्र भैरू
5. संपतदेवी पत्नि कैलाश
6. मनसादेवी पुत्री कैलाश
7. फालूदेवी पुत्री कैलाश
   समस्त जाति कुम्हार निवासी साली, तहसील दूदू जिला जयपुर।
8. लालीदेवी पुत्री भैरू पत्नि गणेश जाति कुम्हार हाल निवासी नावांशहर तहसील नांवा जिला नागौर।
9. रतनीदेवी पुत्री भैरू पत्नि मोती जाति कुम्हार निवासी मालीयो का मौहल्ला, नरेना तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
10. लन्जादेवी पुत्री भैरू पत्नि रामदेव जाति कुम्हार हाल मंमाणा तहसील दूदू जिला जयपुर।
11. सुरज्ञान पुत्री भैरू पत्नि रामनिवास जाति कुम्हार हाल निवासी झोडिन्दा भोजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
12. शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा भांकरोटा जयपुर जिला जयपुर।
13. शाखा प्रबंधक जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 शाखा सांभरलेक जिला जयपुर।
14. शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा किशनगढ जिला अजमेर।
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दूदू।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 16.11.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू राजस्व वाद संख्या 145ए/2022

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोडा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री पुष्पेन्द्रसिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6, 8 से 11
3. श्री कुलदीपसिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 12 व 14
4. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 15
5. रेस्पोडेंट संख्या 7, 13 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—17.10.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 145 ए/2022 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 4(ख) व धारा 151 जा0दी0 का विरूद्ध प्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 16.11.2022 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 4 ख व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश 23 नियम 4 ख जा0दी0 के प्रावधानों से बाधित होने से खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 145 ए/2022 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 7, 13 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा एक राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु विवादित आराजीयात खसरा संख्या 2214, 2215, 2216, 2237 कुल किता 4 रकबा 2.77 हैक्टर, 2217 लगायत 2235, 2238 लगायत 2243, 2246, 2247, 2819, 2827 कुल किता 29 कुल रकबा 7.94 हैक्टर एवं खसरा संख्या 2889 लगायत 2894 कुल किता 6 कुल रकबा 2.39 हेक्टर वाके ग्राम साली तहसील दूदू जिला जयपुर स्थित है। उपरोक्त आराजी में प्रार्थीया के दादा स्व भैरू के नाम दर्ज रिकार्ड 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 442 मे व 454 में सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज रहा है जिनकी मृत्यु दिनांक 13.7.2011 को हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया के पिता है तथा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 11 भैरू के वारिसान है व संयुक्त परिवार के सदस्य रहे है। उपरोक्त आराजी में प्रार्थीया पिता रामकरण का 1/9 हिस्सा बनता है तथा पैत्रक सम्पत्ति होने से 1/9 हिस्से मे से 1/2 दर हिस्सा प्रार्थीया का जन्म से निहित है। अवैधानिक रूप से अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा स्वंय के पक्ष में उपरोक्त आराजी बाबत अप्रार्थी संख्या 1 से हकत्याग कराया जाकर नामान्तरकरण संख्या 358 दिनांक 6.9.2012 को निष्पादित कराया गया है व जो कि प्रार्थीया के हक व अधिकारों के विपरीत बातिल व शून्य है। प्रार्थीया का अपने दादा की सम्पत्ति में जन्म से हिस्सा निहित रहा है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के 1/9 हिस्से मे से दर हिस्सा 1/2 प्रार्थीया का है। अतः उक्त अनुसार खातेदार घोषित कर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे व स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति प्रदान की जावे। उपरोक्त प्रस्तुत वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इन्हीं कथनों पर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र के निस्तारण तक मौके व रेकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखा जाना

न्यायोचित है। उपरोक्त वाद पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के मध्य पारिवारिक समझोता दिनांक 10.2.2021 को हुआ, के मुताबिक समझौता स्थगन प्रार्थना पत्र विड्रो कर स्थगन नोट हटाकर उक्त भूमि 1/5 प्रार्थीया के पिता के हक मे छः माह में रजिस्टरी कराने बाबत हुआ। जिस पर प्रार्थीया द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को दिनांक 12.8.2022 को विड्रो कर लिया। किन्तु पक्षकारान के मध्य राजीनामे की पालना नहीं होने से तथा प्रार्थीया को धोखे में रखकर पूर्व प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दिनांक 12.8.2022 को विड्रो कराए जाने से प्रार्थीया द्वारा द्वितीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27. 9.2022 को प्रस्तुत किया। उक्त प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थीगण द्वारा आदेश 23 नियम 4 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को निरस्त किए जाने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विधि द्वारा बाधित होने से खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए जो कि प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक आदेश होने से निरस्तनीय है। प्रार्थीया द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को एकमात्र पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने के आधार पर विड्रो दिनांक 12.8.2022 को किया गया है प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर विवेचन नहीं होने से आदेश 23 नियम 4 जा.दी. अथवा धारा 11 जा.दी. के प्रावधान आकर्षित नहीं होते है। अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त आराजीयात को अन्यत्र खुर्द बुर्द किए जाने व 1/5 हिस्से का विक्रय पत्र समझौते राजीनामा अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम नहीं किए जाने पर विधिवत रूप से द्वितीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसे आक्षेपित निर्णय से एकमात्र आदेश 23 नियम 4 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निरस्त किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1 व 2 लगायत 5 का सम्पूर्ण आराजीयात से किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। वादग्रस्त आराजीयात का अवैधानिक रूप से स्वयं के पक्ष में हक त्यागनामा होने का अंकन करते हुए अप्राथी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा वादग्रस्त आराजी को अन्यत्र रहन, बय, मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के हक में नहीं किया गया है ना ही अप्रार्थी संख्या 1 को निहित हिस्से से भूमि का हकत्यागनामा किए जाने की अधिकारिता रही है। अतः उक्त बाबत राजस्व वाद के विचाराधीन रहते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखा जाना न्यायोचित रहा है जिस हेतु प्रस्तुत द्वितीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को आदेश 23 नियम 4 जा.दी. के प्रावधानों के तहत बाधित होने से खारिज किए जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में स्पष्टतया वादग्रस्त आराजी को पक्षकारान की पैत्रक सम्पत्ति होना अंकन करते हुए व पूर्व में हुए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को एकमात्र राजीनामे के आधार पर विड्रो कराए जाने का अंकन कर द्वितीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त बाबत आदेश 23 नियम 4 जा.दी. के प्रावधानो का अवलोकन किए बिना जहां उक्त प्रावधान एकमात्र राजस्व वाद से संबंधित रहे है को विड्रो किए जाने से संबंधित है, का क्रियान्ययन अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र बाबत किया जाकर प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र

को निरस्त किए जाने मे त्रुटि की गई है। अपीलाण्ट्स के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष राजस्व वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु खातेदारी की आराजीयात में स्वयं के हिस्से पर कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी नहीं किया जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पोडेण्ट्स द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाकर आदेश 23 नियम 4 जा.दी. का प्रार्थना पत्र मिथ्या कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र पर बिना प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओं का निस्तारण किये बिना प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को विधि द्वारा बाधित होना अंकन करते हुए निरस्त फरमाये जाने में त्रुटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति तीनों बिन्दुओं पर विधिवत रूप से विवेचन करते हुये किया जाना चाहिये था। वादग्रस्त आराजीयात से रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 अथवा उनके पिता का कोई सरोकार नहीं है। वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजीयात पर अपीलाण्ट के पूर्वज तत्पश्चात् अपीलाण्ट काबिज काश्त चले आ रहे है जो कि प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है। रेस्पोडेण्ट सं० 2 लगायत 5 द्वारा स्वयं के पक्ष में कराए गए हकत्यागनामे के आधार पर रेस्पोडेण्ट सं0 2 लगायत 5 को किसी भी प्रकार की अधिकारिता प्राप्त नहीं होती है। वादग्रस्त आराजीयात पर बहैसियत खातेदार अपीलाण्ट का कब्जा होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में है तथा यदि वादग्रस्त आराजीयात से वाद के विचाराधीन रहते अपीलाण्ट को बेदखल करने की कार्यवाही की जाती है अथवा फर्जकारी रूप से स्वयं का नामांकन कराया जाता है तो तुलनात्मक अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट को होना संभावित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में आक्षेपित आदेश से अपीलान्ट खातेदारान काबिज काश्त के पक्ष में प्रकरण को नहीं मानते हुये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाये जाने में अवैधानिक त्रुटि कारित की गई है। अपीलान्ट प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार आराजीयात पर काबिज काश्त है जिसे रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 5 द्वारा स्वयं के द्वारा खातेदार एवं काबिज काश्त होना वर्णित किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण आराजीयात जिससे रेस्पोडेण्ट का कोई सरोकार नहीं है को पाबन्द नहीं फरमाये जाने में त्रुटि कारित की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट वादग्रस्त आराजीयात पर खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त है जिन्हें उनके खातेदारी अधिकारों से महरूम करने की नियत से प्रस्तुत वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने में त्रुटि कारित की गई है जो की निरस्तनीय है। प्रस्तुत राजस्व वाद में मिथ्या कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 4 जा.दी. में वर्णित कथनों के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्यों को अनदेखा कर न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो कि विधि विरूद्ध होने से न्यायालय में निहित असीमित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के हक एंव अधिकारों के विरुद्ध आक्षेपित निर्णय पारित करने में क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेण्ट जिसके पक्ष में फर्जकारी रूप

से किये गये राजस्व अभिलेख में अंकन किया हुआ है जिसकी आड़ में अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजीयात में निहित खातेदारी अधिकारों से महरूम किया जा रहा है। अतः न्यायालय के समक्ष जरिये अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये जाने के अतिरिक्त अपीलान्ट के समक्ष अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। अतः पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजीयात में खातेदार की हैसियत से निहित हिस्से के उपयोग एवं उपभोग बाबत् किसी भी रूप में रेस्पोडेण्ट को दौराने वाद छुट प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फर्जकारी रूप से किये गये राजस्व अभिलेख में रहे अंकन को महता प्रदान करते हुये दस्तावेंजी साक्ष्यों के विपरीत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को आदेश 23 नियम 4 जा.दी. से बाधित होना वर्णित करते हुए निरस्त फरमाये जाने में त्रुटि कारित की गई है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 145 ए/2022 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 4 (ख) व धारा 151 जा० दी० का विरुद्ध प्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि "प्रार्थीया ने विवादित आराजी से सम्बन्धित अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 03/2020 उनवानी सुमित्रा बनाम रामकरण आदि प्रस्तुत किया था जिसको फाईल टु फेश प्रार्थना–पत्र की अनुमति के बिना प्रार्थीया ने स्वंय के स्तर पर दिनांक 12/08/2022 को विड्रो कर खारिज करवा लिया है, इसलिये प्रार्थीया ने पुनः उसी विवादित आराजी को लेकर प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है, वह कानूनन आदेश 23 नियम 4 (ख) जा० दी० के प्रावधानों से प्रभावित होने के कारण संधारण योग्य नहीं होने से खारिज योग्य हैं। प्रार्थीया अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से झूठे प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करती और स्वयं ही विड्रो कर लेती है और पुनः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करती है, जो विधि विपरीत होने के कारण उनवानी प्रार्थना–पत्र पोषणीयता के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 12 एवं 14 ने दौराने अपील लिखित बहस में कथन किया कि अपील में दर्ज तथ्य अन्य रेस्पोडेंट से संबंधित हैं किंतु यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी पक्षकारान ने मिन रेस्पोडेंट बैंक के पक्ष में अपने हिस्से की आराजी को रहन रखकर उक्त आराजी पर केजीसी के जरिए ऋण प्राप्त किया हुआ है तथा राजस्व रिकार्ड में रहन का नामांतरकरण भी मिन रेस्पोडेंट बैंक के पक्ष में दर्ज है। जब तक उक्त ऋण राशि की अदायगी नहीं हो जाती है एवं राजस्व रिकार्ड में रहन फक का नामांतरकरण दर्ज नहीं हो जाता, तब तक राजस्व रिकार्ड में मिन रेस्पोडेंट बैंक के हकों तक किसी भी प्रकार की तब्दीली किया

जाना न्यायोचित नहीं है। अतः जबतक मिन रेस्पोडेंट बैंक समस्त बकाया राशि की अदायगी नहीं हो जाती है, तब तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज बैंक के पक्ष में रहन आराजी के संबंध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाकर बैंक के हक व अधिकारों को सुरक्षित व संरक्षित किया जावे। अपील में दर्ज तथ्यों से ही स्पष्ट है कि अपीलांट का मुख्य विवाद अन्य रेस्पोडेंटगण के मध्य का है। अपीलांट व अन्य रेस्पोडेंटगण ने आपस में साज–बाज कर उक्त अपील प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट न्यायालय से मिन रेस्पोडेंट के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट की अपील मिन रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रथम दृष्टया ही खारिज किए जाने योग्य है। अपीलांट को मिन रेस्पोडेंट के विरूद्ध कभी कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है। मिन रेस्पोडेंट के हक में विवादित आराजी रहन है एवं जब तक मिन रेस्पोडेंट बैंक को संपूर्ण अदायगी नहीं कर देती है, अपीलांट मिन रेस्पोडेंट के हक में रहन संपत्ति की हद तक कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए भी अपीलांट के हकों तक अपील अपीलांट काबिले खारिज किए जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा अपने अपील में मिन रेस्पोडेंट के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा है। मिन रेस्पोडेंट को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है। इस लिए अपील अपीलांट मिन रेस्पोडेंट के खिलाफ खारिज किए जाने योग्य है।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट/प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेंट्स/अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 4(ख) व धारा 151 जा0दी0 विरूद्ध अपीलांट/प्रार्थीया प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 4(ख) व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत आदेश 23 नियम 4(ख) व धारा 151 जा0दी0 के प्रावधानों से बाधित होने से खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट/प्रार्थीया ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया/अपीलांट द्वारा प्रकरण संख्या 03/2020 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2020 को प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब प्रस्तुत किए जाने तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत पाबंद किया गया। प्रकरण में दिनांक 10.02.2021 को उभयपक्षों के मध्य नोटेरीकृत राजीनामा प्रस्तुत किया गया। उक्त राजीनामे में उभयपक्षों के मध्य आपसी सहमति प्रस्तुत की गई। प्रार्थीया/अपीलांट द्वारा दिनांक 12.08.2022 में प्रार्थना पत्र को विड्रो किया गया।

प्रार्थीया/अपीलांट द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 4(ख) व धारा 151 जा0दी0 विरूद्ध

अपीलांट/प्रार्थीया प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी फाईण्डिंग में यह कथन किए कि *" किसी भी प्रकरण को विड्रो करने से पूर्व फ्रेश वाद पेश की अनुमति लिया जाना कानूनन आवश्यक है, यदि उसके द्वारा अनुमति नहीं ली जाती है, तो नवीनी प्रार्थना–पत्र/वाद पेश करने का अधिकार शेष नहीं रहता है। "* इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 4 ख व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया गया तथा प्रार्थीया/अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 खारिज किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब उभयपक्षों के मध्य राजीनामा किया गया तो प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र विड्रो कर लिया गया परंतु जब उक्त राजीनामे में वर्णित शर्तों का विधिसम्मत पालन नहीं हुआ तो प्रार्थीया/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्रों का भलीभांति अवलोकन नहीं किया चूंकि प्रार्थीया द्वारा दोनों प्रार्थना पत्र के माध्यम से अलग अलग अनुतोष चाहा गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी फाईण्डिंग में प्रकरण को उसी विवादित आराजी का होना मानकर प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 4ख जा0दी0 के प्रावधानों से बाधित होने से खारिज कर दिया, परंतु उनके द्वारा इस बिंदु को नजरअंदाज किया गया कि दोनों प्रार्थना पत्रों के माध्यम से प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष भिन्न–भिन्न था, चूंकि प्रार्थीया ने जरिए राजीनामे के प्रथम प्रार्थना पत्र विड्रो किया था परंतु राजीनामे अनुसार उभयपक्षों के मध्य सहमति नहीं होने से द्वितीय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अलग अनुतोष चाहा गया परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों प्रार्थना पत्र का अनुतोष समान मानकर उसका निस्तारण बिना गुणावगुण पर फाईण्डिंग दिए किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपीलांट/प्रार्थीया न्यायालय के समक्ष प्रकरण में नए तथ्यों पर जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिलने से न्याय से वंचित रह गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 में वर्णित तीनों मूलभूत बिंदुओं यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिना गुणावगुण पर विशलेषण किए ही निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 4 ख व धारा 151 जा0दी0 को स्वीकार कर विधिक त्रुटि कारित की है।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 145 ए/2022 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2022 को निरस्त किया जाता है व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित उभयपक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तीनों मूल भूत बिंदुओ यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का विस्तृत विवेचन करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.11.2025

को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर